

720

### फर्द अहकाम

सुरक्षित बनाम किसान  
उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय संगानेर जयपुर  
23/2011 T.9

गर्ची उषा  
किसान  
23/11/24

नाम आजा या कार्यवाही	आजा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/11/24	<p>पञ्जावणी पेश दुई। वकील वादी। गर्ची उषा पञ्जावणी व राज रिकार्ड, प्राण्य अस्थायी निपेधाना व जयपुर अध्यागण का आधोपान्त अपभोक्त कले व वकील गर्ची की वस्तु का मनम कले पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वादी के दावा धोषणा, वंत्कारा व स्वार्थ निपेधाना का प्रस्तुत किया राज रिकार्ड में अध्यागण का नाम का अंक है गर्ची खतियार मदी है प्रथमदृष्टा के व सुविधा का सन्तुक्त गर्ची के पत्रा में मदी पाये जाते है अध्यागण खतियार को निपेधाना से पावत नही कि जा सकता है गर्ची का प्राण्य अस्थायी निपेधाना अन्तर्गत धारा 212 RTA खालि किता जाता है पञ्जावणी नम्बर से कठ धोका वाद वकील वादी किता दफता है। (सुनाछागण)</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (संगानेर)

गर्ची  
21/7/24

उप  
की आजा



19  
7  
21  
11  
2-  
लि  
रेम  
आ